कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 30/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- तहबरपुरः शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 16.12.2024 को आवेदिका थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 15 वर्ष ने थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अभिषेक सरोज पुत्र फतेह बहादुर निवासी ग्राम मधेसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2024 धारा 69,352,351(2) B.N.S. व 4(2) पास्को एक्ट बनाम 1.अभिषेक सरोज पुत्र फतेह बहादुर 2.कमलावती 3. फतेह बहादूर 4 पंकज साकिन मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियुक्त के मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 25.01.25 को मैं थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भिषेक सरोज पुत्र फतेह बहादुर निवासी ग्राम मधेसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को सर्विस लेन पुर्वांचलव एक्सप्रेस-वे के पास से समय करीब 13.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना दीदारगंजः दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 21.01.2025 को वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21.01.2025 विपक्षी शुभम राजभर s/o रामदुलार राजभर ग्राम नरवें थाना बरदह जिला आजमगढ द्वारा वादी की भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ बाईक से ग्राम लारपुर बक्सू थाना दीदारगंज पर बने हुये पोखरे के पास एक कमरे पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया जिसपर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 09/25 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पास्को एक्ट बनाम शुभम राजभर पुत्र रामदुलार राजभर ग्राम नरवें थाना बरदह जिला आजमगढ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 25.01.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम राजभर पुत्र रामदुलार राजभर ग्राम नरवें थाना बरदह जिला आजमगढ को जैगहा मोड बहद ग्राम बनगांव से समय करीब 7.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना – अतरौलियाः साइबर फ्राड के 16,000/- रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 04.09.2024 को आवेदक पंकज कन्नौजिया पुत्र रामकिशुन निवासी हैदरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के खाते से आवेदक के बिना जानकारी के 16,000 रु/- का साइबर धोखाधड़ी हुई जिसके क्रम मे आवेदक की शिकायत पर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 33109240111283 दर्ज कराया किया गया। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा फ्राड हुये कुल 16,000/- रु0 को होल्ड कर दिया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश (फंड रिलीज आर्डर) के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी को अवगत कराते हुये आवेदक के होल्ड हुये कुल 16,000 रुपये को वापस करा दिया गया।

➡ आवेदक पंकज कन्नौजिया के शिकायत सं0 33109240111283 के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में साईबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा आवेदक के खाते में होल्ड हुई धनराशि कुल 16,000/- रुपये को वापस कराया गया है।

पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

04.थाना जहानागंज: फिरौती माँगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 24.01.25 को वादी मुकदमा अभिषेक तिवारी पुत्र आनन्द कुमार तिवारी ग्रा0 बखरा, थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर हाल पता डुगडुगवा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया आरोपी क्रान्ति राजभर के द्वारा वादी के देशी शराब की दुकान पर आकर दस हजार रूपये की मांग करने पैसा नही देने पर सेल्समैन को गाली गलौज देना तथा वहा उपस्थित शराब खरीद रहे लोगो को डंण्डा लेकर भगा देना व वादी द्वारा विरोध करने पर कालर पकड़कर मारना पीटना गाली गलौज देना व पैसा नही देने पर दुकान बन्द कराने की धमकी देने के संम्बन्धित में मु0अ0स0 27/25 धारा 115 (2),352,351(2),308(5) बीएनएस बनाम क्रान्ति राजभर पुत्र पंचम राजभर निवासी उम्मरपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 25.01.25 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त क्रान्ति राजभर उर्फ विजय राजभर पुत्र पंचम राजभर निवासी उमरपुर कोईलारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को नर्सरी मोड़ अतरारी मेन रोड के पास से समय करीब 09.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 86/20 धारा 147, 352, 427 भा0द0वि जहानागंज थाना आजमगढ़
02.मु0अ0सं0 93/21 धारा 147, 148, 149, 188, 307, 323, 332, 336, 353, 427, 504, 506 भादवि व 07 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
03.मु0अ0सं0 95/21 धारा 147, 148, 149, 323, 352, 452, 504, 506 व व 07 सीएलए एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
04.मु0अ0सं0 66/19 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 352, 427, 452, 504 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
05.मु0अ0सं0 297/20 धारा 147, 149, 323, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
06.मु0अ0सं0 452/22 धारा 308, 323, 34, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
07.मु0अ0सं0 0283/05 धारा 147, 323, 325, 452, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
08. मु0अ0स0 27/25 धारा 115 (2),352,351(2),308(5) बीएनएस थाना जहानागंज आजमगढ़

05.थाना-जीयनपुरः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 13.01.2025 को आवेदिका थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात (9125XXXXXXX) द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 137(2)BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से सुबोध राणा पुत्र शिवगोपाल राणा निवासी ग्राम ललिया थाना थाना ललिया जनपद बलरामपुर हाल पता सोनू की फैक्ट्री राज प्रेट्रोल लम्बा पिण्ड होसियारपुर रोड जालंधर राज्य पंजाब का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 24.01.2025 को उ0नि0 धननन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सुबोध राणा पुत्र शिवगोपाल राणा निवासी ग्राम ललिया थाना थाना ललिया जनपद बलरामपुर हाल पता सोनू की फैक्ट्री राज प्रेट्रोल लम्बा पिण्ड होसियारपुर रोड जालंधर राज्य पंजाब को वादिनी मुकदमा के पति के निशानदेही के आधार पर अंजानशहीद बजार थाना जीयनपुर आजमगढ़ से समय करीब 19.50 बजे हिरास्त पुलिस में लिया गया व धारा 87BNS की बढ़ोतरी की गयी व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-सुबोध राणा पुत्र शिवगोपाल राणा निवासी ग्राम ललिया थाना थाना ललिया जनपद बलरामपुर हाल पता सोनू की फैक्ट्री राज प्रेट्रोल लम्बा पिण्ड होसियारपुर रोड जालंधर राज्य पंजाब

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 16/2025 धारा 137(2)BNS व बढ़ोतरी धारा 87 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़